ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या-32/2018
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊ: जून 21, 2018

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि बच्चों का गुम हो जाना एक अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है। यद्यपि कुछ बच्चे अपनी इच्छा से घर छोड़कर भाग जाते है लेकिन इस बात से कदापि इंकार नहीं किया जा सकता है कि कई बच्चे विभिन्न कारणों विशेष रूप से फिरौती के लिए अपहरण, संगठित गिरोह द्वारा भीख मंगवाने, मादक द्रव्य का व्यापार, जेब कटवाने के लिए, बाल श्रमिक के रूप में उपयोग के लिए एवं अंग प्रत्यारोपण के लिए बच्चे, विशेष रूप से लडकियों को यौन शोषण के लिए विभिन्न शहरों एवं विदेश में अनैतिक व्यापार के लिए अगवा किया जाता है।

डीजी परिपत्र-24/12 दिनांक 20.04.12
डीजी परिपत्र-31/12 दिनांक 05.07.12
डीजी परिपत्र-11/13 दिनांक 09.04.13
डीजी परिपत्र-06/13 दिनांक 02.02.13
डीजी परिपत्र-12/13 दिनांक 11.04.13
डीजी परिपत्र-08/16 दिनांक 16.02.16
डीजी परिपत्र-52/16 दिनांक 24.08.16
डीजी परिपत्र-42/17 दिनांक 02.12.17

आप सहमत होंगें कि जहॉ एक ओर यह एक गम्भीर अपराधिक कृत्य है वहीं दूसरी ओर बच्चों का गुम हो जाना उनके माता पिता एवं उनके परिवारिक सदस्यों के लिए मानसिक आघात है। पुलिस को गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में अत्यन्त संवेदनशील होने की आवश्यकता है। बच्चों के गुम होने के मामले भी मा0 न्यायालयों/आयोगों और मीडिया में प्रमुखता से उठाये जाते हैं। गुमशुदा बच्चों की बरामदगी एवं पुलिस कार्यवाही सम्बन्धी परिपत्र समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश के साथ निर्गत किये गये हैं, जो पार्श्वंकित पर अंकित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्रों का सम्यक रूप से अनुपालन नहीं किया/कराया जा रहा है।

गुमशुदा बच्चों के अपराध पंजीकरण/विवेचनात्मक कार्यवाही/बरामदगी आदि की कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देश अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं:-

- थाने पर गुमशुदा बच्चों की शिकायत एवं शिकायतकर्ता को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाये और उन्हें कदाचित यह परामर्श नहीं दिया जायेगा कि वह पहले बच्चें को स्वयं ढूंढ ले, क्यों कि इससे पुलिस कार्यवाही करने में अनावश्यक विलम्ब होगा।

- थाने पर समस्त कर्मियों को इस ओर संवेदनशील बनायें, कि वह शिकायतकर्ता के साथ शिष्ट व भद्र व्यवहार करते हुए वैधानिक कार्यवाही करें।

- गुमशुदा बच्चों की सभी सूचनाओं पर धारा 363 भादवि का मुकदमा दर्ज किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नही की जायेगी। ऐसा न करने पर थानाध्यक्ष एवं हेड मोहर्रिर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें। यदि शिकायत कर्ता का यह स्पष्ट आरोप है कि बच्चे का अपहरण किसी अपराध घटित करने के उद्धेश्य से हुआ है तद्नुसार धारा-364 भादवि एवं यदि फिरौती के लिए किया गया है तो 364ए भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जायेगा।

- भादवि एवं अन्य अधिनियमों की धारा की बढ़ोत्तरी अग्रिम विवेचना में अपराधिता के प्रकट होने पर की जायेगी।

- गुमशुदा बच्चों के सभी पंजीकृत अपराध " स्पेशल एस0आर0" केस होंगें। मुकदमा पंजीकृत होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बच्चों के समस्त विवरण के साथ पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, विशेष बाल कल्याण पुलिस इकाई (SJPU) तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी को 24 घण्टे के अन्दर भेजी जायेगी। जिस जनपद मे एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) स्थापित है, तो उस इकाई को भी सूचना दी जायेगी।

- गुमशुदा बच्चों के अभियोग से सम्बन्धित विवेचक द्वारा गुमशुदा बच्चें का हुलिया, पता, फोटो, घटना का विवरण, खोये जाने की परिस्थितियॉ, बच्चों के जा सकने वाले सम्भावित स्थान, संदिग्ध अपहरणकर्ताओं का

विवरण, उसके शरणदाताओं/रिश्तेदार/मित्र इत्यादि के पते घटना स्थल तथा अपहृत बच्चो के घर एवं अविभावक इत्यादि से समस्त सूचना सामग्री तत्परता से एकत्रित करेगा।

- संकलित सूचनाओं के आधार पर वह सभी ऐसे स्थान, जहॉ पर बच्चे के गुम होने की सम्भावना हो सकती है, जैसे- स्थानीय सिनेमाघर, बस-स्टैण्ड, रेलवे-स्टेशन, माल-बाजार, भीड़-भाड़ वाले स्थानो पर बीट आरक्षी के साथ बच्चे को ढूंढने का प्रयास करेंगें। बीट आरक्षी आने-जाने वाले टैम्पों-टैक्सी पर सतर्क दृष्टि रखते हुए सूचना का संकलन करेगा।
- जनपद के कन्ट्रोल रूम के वाहनों को भी खोये हुये बच्चों के सम्बन्ध में सूचना प्रसारित की जायेगी ताकि वह भी क्षेत्र में भ्रमण करते समय उसे ढूंढ सके।
- विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और केबिल चैनलों पर भी बच्चें के गुम होने की सूचना प्रसारित करायेगा।
- विवेचक, बच्चें के माता पिता व अविभावक से समस्त विवरण व फोटों ग्राफ प्राप्त कर SJPU/DCRB मे Trackthemissingchild Software मे सूचना अपलोड करायेगा। यह कार्यवाही 24 घण्ट के अंदर पूर्ण कर ली जायेगी
- विवेचक का यह भी दायित्व होगा कि शुरू में प्रत्येक सप्ताह और बाद में प्रत्येक पक्ष खोये हुये बच्चों के अविभावक को जिला मुख्यालय स्थित SJPU/DCRB मे Trackthemissingchild Software से मिले हुये बच्चों के विवरण से उनके खोये हुये बच्चों का मिलान कराकर बच्चें को ढूंढने का प्रयास किया जायेगा।
- वह सभी प्रकरण जहॉ पर 03 वर्ष से 08 वर्ष तक के बच्चें 04 माह तक बरामद नही होते हैं, तो उनकी विवेचना जनपदीय क्राइम ब्रान्च के अन्तर्गत स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को स्थानान्तरित की जायेगी। अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, अपराध उन विवेचनाओं को अपने निकट पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करेंगें।
- प्रत्येक 03 माह के अन्तराल में पुलिस अधीक्षक अपने जनपद में गुमशुदा बच्चों की बरामदगी के लिए अभियान चलाकर खोये हुये बच्चों को ढूढने का प्रयास करेंगें। परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक वर्ष में कम से कम 03 बार गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही की गहन समीक्षा करेंगें।
- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स के जनपदों में गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में समीक्षा करेंगे।

मै अपेक्षा करता हूँ कि आप उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर संवेदनशील होकर जनपद में एक कार्यशाला आयोजित कर उपरोक्तांकित निर्देशों से जनपद के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए समय से इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0।